न्यायालय उपखण्ड अधिकारी परबतसर जिला डीडवाना—कुचामन
पीठासीन अधिकारी :— गुलाब सिंह वर्मा, आर.ए.एस.

अपीलानट :— बनाम रेस्पोडेन्ट :—

1. हेमाराम पुत्र परसाराम जाट
2. मोबाराम पुत्र नन्दाराम जाट
निवासी हुलढाणी तह. परबतसर

सरपंच ग्राम पंचायत बडू

अपील बाबत :— अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट
उपस्थित :— श्री गोपालराम पुनियां, अधिवक्त अपीलान्ट

निर्णय दिनांक :— 28—08—2024

मुकदमां नम्बर :— 2024 / 69

निर्णय

1. अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री गोपालराम पुनियां ने यह अपील पेश की है, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि ग्राम बडू के खसरा नम्बर 1536, 1537 कुल रकबा 2.50 हैक्टयर स्थित है। जिसमें उच्छब कंवर का 1 / 10 हिस्सा, कान्ता कंवर का 1 / 10, हिस्सा, गीता कंवर 1 / 10 हिस्सा, चेनसिंह का 1 / 10 हिस्सा जरिये विक्रय विलेख दिनांक 15.02.2024 को खरीद किया तथा प्रतिफल की राशि अदा कर दी गई। विक्रय विलेख खरीद करने के बाद उक्त भूमि का नामान्तकरण दर्ज करने हेतु प्रति हल्का पटवारी को दी गई। हल्का पटवारी बडू ने 20.02.2024 को नामान्तकरण संख्या 1281 दर्ज किया तथा जांच प्रारम्भ की गई। उक्त नामान्तकरण स्वीकृत करने हेतु सरपंच ग्राम पंचायत बडू द्वारा रूपयो की अधिक मांग की गई जिस पर अपीलान्ट द्वारा भूमि सम्पूर्ण प्रतिफल की राशि खातेदारों को अदा कर खरीदना बताया तथा खातेदारो को किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होना बताया। जिसके उपरान्त भी सरपंच ग्राम पंचायत बडू रेस्पोडेन्ट संख्या द्वारा एक आपत्ति लेकर उक्त नामान्तकरण निरसत कर दिया गया जबकि उक्त नामान्तकरण निरस्त करने का कोई कानूनन अधिकार रेस्पोडेट को नही था अपीलान्ट ने खरीद सदा भूमि का प्रतिफल अदा करके खरी की गई है जिसका नामान्तकरण दर्ज करवाने के अपीलान्ट कानूननी अधिकारी है। खरीद के दिन से ही अपीलान्ट अपने हक हिस्से की भूमि पर काबिज है। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की

उपखण्ड अधिकारी
परबतसर

जाकर नामान्तकरण संख्या 1281 दिनांक 20.02.2024 को ग्राम पंचायत का आदेश अपास्त किया जाकर नामान्तकरण स्वीकृत करवाने की इस्तदुआ चाही है।

2. अपीलान्ट की अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट का सम्मन रजिस्टर्ड डाक से सही पते पर तामील होकर प्राप्त होने के बावजूद अनुपस्थित रहने पर एक पक्षीय कार्यवाही की गई। अपीलान्ट ने जमाबन्दी एवं नामान्तकरण की प्रमाणित प्रति अपील के साथ पेश की है।

3. हमने अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक की विद्वतापूर्ण बहस पर मनन किया। विधिक सुसंगत प्रावधानों का अध्ययन किया तथा सम्पूर्ण पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का आदर पूर्वक अध्ययन किया गया।

4. अपीलान्ट ने अपील के साथ जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 की प्रति पेश की है जिसके अनुसार ग्राम बडू के खसरा नम्बर 1536, 1537 कुल रकबा 2.50 हैक्टयर भूमि में दर्ज खातेदारान उच्छब कंवर का 1/10 हिस्सा, कान्ता कंवर का 1/10, हिस्सा, गीता कंवर 1/10 हिस्सा, चेनसिंह का 1/10 हिस्सा जरिये विक्रय विलेख दिनांक 15.02.2024 को खरीद किया है, बैचान दस्तावेज की प्रति पेश की है जिससे स्पष्ट होता है की अपीलान्ट के उक्त भूमि के खातेदारान से उनके हक हिस्से की भूमि जरिये रजिस्टर्ड बेचान से क्रय की है। जिसका नामान्तकरण हल्का पटवारी ने विधिवत रूप से दर्ज कर ग्राम पंचायत बडू के समक्ष प्रस्तुत किया है। सरपंच ग्राम पंचायत बडू ने उक्त नामान्तकरण पर 13.03.2024 को यह नोट अंकित करते हुए खारिज किया है कि " ग्राम पंचायत राजस्व अधिकारी की जांच रिपोर्ट व परिवार की आपत्ति होने के कारण नामान्तकरण खारिज किया जाता है। अपने प्रस्ताव में कहीं भी अंकित नहीं किया है कि किस राजस्व अधिकारी व परिवार के सदस्य की आपत्ति परं नामान्तकरण खारिज किया है। अपीलान्ट ने जमान्दी में दर्ज रिकार्डेड खातेदारों की भूमि जरिये रजिस्टर्ड बैचान क्रय की है। किसी भी राजस्व अधिकारी द्वारा नामान्तकरण पर कोई जांच की टिप्पणी अंकित नहीं की है न ही सरपंच ने अपनी टिप्पणी में किस परिवार के सदस्य की आपत्ति प्रस्तुत की है अंकित किया है अथवा आपत्तिकर्ता का विक्रयताओं से क्या पारिवारिक सम्बन्ध में इस बारे में कोई टिप्पणी अंकित की है। विक्रेता भूमि के रिकार्डेड खातेदार जिनको अपने हक हिस्से की भूमि का बैचान करने का कानूनी अधिकार है, नामान्तकरण

उपखण्ड अधिकारी
परबतसर

बैचान दस्तावेज के आधार पर दर्ज किया गया है। जिसको सरपंच ग्राम पंचायत का खारिज करने का कोई अधिकार नहीं है। किसी प्रकार का कोई भी संशेय हो तो ग्राम पंचायत सक्षम उच्च स्तर पर नामान्तकरण भिजवा सकते है। जिससे स्पष्ट होता है कि नामान्तकरण संख्या 1281 पर सरपंच ग्राम पंचायत बडू ने द्वेशता पूर्ण आदेश पारित कर नामान्तकरण को खारिज किया है विधि विरूद्ध है। जिससे अपीलान्ट की अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः अपीलान्ट की अपील अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट स्वीकार कि जाकर ग्राम बडू के नामान्तकरण संख्या 1281 पर दिनांक 20.02.2024 को सरपंच ग्राम पंचायत बडू का आदेश अपास्त किया जाकर तहसीलदार परबतसर को आदेश दिया जाता है कि विधि अनुसार उक्त नामान्तकरण की जांच कर नियमानुसार कार्यवाही करे। तहरीर जारी हो।

यह आदेश आज दिनांक 28–08–2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गुलाब सिंह वर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
परबतसर